न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 145/2023

1. जसपालकौर पत्नी जन्टासिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 01, ढाणी सिखान नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थीया

बनाम्

1. बलविन्द्रसिह पुत्र जन्टासिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.
उपस्थिति :–श्री नरेन्द्रपाल वर्मा प्रार्थी
श्री परमजीत सिंह अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 7/8/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से चकनं0 2 आर. डबल्यू. डी. के खाता सं0 33/31 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में कुल 5.870 है0 मय कमाण्ड, अ०क० मय गै०मु० कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, फोटो कॉपी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया की खरीदशुदा कृषि भूमि है एंव प्रार्थीया उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार है एंवम उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के कब्जा काश्त व आधिपत्य में है । प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि भूमि को हिस्सा ठेका पर काश्त करवाती है व समय–समय पर अपनी कृषि भूमि की सार संभाल भी करती है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का किसी 16 प्रकार से कोई हक व अधिकार नही है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी कभी भी अप्रार्थीगण सं० 1 के कब्जा काश्त में नही रही। विवादित आराजी मुझ प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी है जिसकी प्रार्थीया तन्हा मालिक व खातेदार है एंव उपरोक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थीया काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है लेकिन अप्रार्थी सं0 1 मुझ प्रार्थीया की कृषि भूमि पर अवैद्य रुप से कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी सं0 1 नशे का आदि है व प्रार्थीया की कृषि भूमि पर अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रार्थीया की कृषि भूमि हड़प करना चाहता है एंव प्रार्थीया की कृषि भूमि पर अवैद्य रुप से रास्ता, खाला निकलवाकर प्रार्थीया की कृषि भूमि के टुकड़े करना चाहता है। अप्रार्थी सं० 1 के पास अपनी अलग से कृषि भूमि है लेकिन फिर भी अप्रार्थी सं0 1 जबरदस्ती ताकत के बल पर मुझ प्रार्थीया की कृषि भूमि पर काबिज होना चाहता है तथा मुझ प्रार्थीया की कृषि भूमि में से जबरदस्ती

अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

खाला व रास्ता निकालने पर आमादा है। अगर अप्रार्थी सं0 1 अपनी इस मंशा में कामयाब हो गया तो मुझ प्रार्थीया को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व प्रार्थीया को आइन्दा मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है, ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया खिलाफ अप्रार्थी सं0 1 इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं0 1 मुझ प्रार्थीया के नाम से चकनं0 2 आर.डबल्यू. बी के खाता सं0 33/31 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में कुल 5.870 है0 मय कमाण्ड, अ०क० मय गै०मु० कृषि भूमि या उसके किसी भी भू–भाग पर जबरदस्ती कब्जा करने, उसमें रास्ता, खाला निकालने व प्रार्थीया के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखन्दाजी करने से निषेध रहे एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखे व उसमें में किसी प्रकार से परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए अप्रार्थीगण की विधिवत तामिल होकर सम्मन/नोटिस न्यायालय में प्राप्त हुए अप्रार्थी स0 की और से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया वकील प्रार्थी को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये गये, पत्रावली में आदेशिका दिनांक 25.07.2025 द्वारा अप्रार्थी वकील को जवाब हेतु अंतिम अवसर देते हुए हिदायत दी गई की जवाब पेश न करने पर जवाब अवसर स्वत बंद कर दिया जावेगा। आदेशिका दिनांक 05.08.2025 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका में NO INSTRUCTION अंकन किया गया, अप्रार्थी को बार–बार आवाज लगवाई गई आवाज लगवाने के बाद भी अप्रार्थी असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नही आया अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

बहस एक पक्षीय प्रार्थी अधिवकता की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त शाश्वत व्यादेश मूल दावे में तय होना है इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। प्रथम दृष्टयता सलंग्न राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादभूमि में प्रार्थी के जसपाल कौर के नाम से राजस्व रिकोर्ड में है प्रार्थीया ने चकनं0 2 आर.डबल्यू. बी के खाता सं0 33/31 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में कुल 5.870 है0 मय कमाण्ड, अ०क० मय गै०मु० कृषि भूमि या उसके किसी भी भू–भाग पर जबरदस्ती कब्जा करने, उसमें रास्ता, खाला निकालने व प्रार्थीया के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखन्दाजी करने से

ण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

निषेध रहे एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी को पावंद किये जाने अनुतोष चाहा है।

अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनाता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता केवल अप्रार्थी बलविन्द्र सिंह को पावंद किया जाता है कि अप्रार्थी बलविन्द्र सिंह प्रार्थीया के नाम से चकनं0 2 आर.डबल्यू. बी के खाता सं0 33/31 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में कुल 5.870 है0 मय कमाण्ड, अ०क० मय गै०मु० कृषि भूमि या उसके किसी भी भू–भाग पर जबरदस्ती कब्जा करने, प्रार्थीया के कब्जा काश्त एंव उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखन्दाजी करने से ताफैसला दावा निषेद्ध रहे। उक्त स्थगन आदेश नवीन स्वीकृत शुद्धा सरकारी रास्ता व खाले आदि के सवंध में रिकोर्ड में परिवर्तन करने पर लागू नही होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 7/8/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्य नारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner